कार्यालय आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

प्रकरण क्रमांक-46/अपील वर्ष 2017-18

श्री उमेश रजक अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री अजय सोंधिया अनावेदक

::आदेश::

(पारित दिनांक 24/09/2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. ग्राम पंचायत भरौठीमाल द्वारा ग्राम रोजगार सहायक पद हेतु दिनांक 21 जुलाई 2010 को मेरिट सूची जारी कर श्री उमेश रजक (जिसे आगे अपीलार्थी कहा गया है) का नाम 72.66 अंक के साथ प्रथम स्थान पर तथा श्री अजय सोंधिया (जिसे आगे अनावेदक कहा गया है) का नाम 55.40 अंक के साथ छठवें स्थान पर रखा गया।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिण्डौरी द्वारा पत्र क्र. जिपं./ग्रा.रो.सहा./2010/2583 दिनांक 6 सितम्बर 2010 से अनावेदक द्वारा प्रस्तुत 'द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैण्ड' द्वारा जारी कम्प्यूटर डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की वैधता के संबंध में संबंधित यूनिवर्सिटी, द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैण्ड को पत्र भेज कर जानकारी चाही गयी।
3. द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैण्ड के पत्र दिनांक 05 अक्टूबर 2010 द्वारा प्रमाण-पत्र वैध होने की जानकारी प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा कम्प्यूटर अनुभव के अंक प्रदाय कर आदेश क्र. 5180 दिनांक 24 दिसम्बर 2010 से अनावेदक को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहपुरा को लेख किया गया। जिसके तारतम्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहपुरा द्वारा पत्र क्र. 429 दिनांक 29 दिसम्बर 2010 से अनावेदक को नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
4. उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमे अनावेदक को 'द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैण्ड' द्वारा जारी कम्प्यूटर डिप्लोमा प्रमाण-पत्र को ग्राम रोजगार सहायक के पद पर भर्ती के परिपेक्ष्य में अमान्य घोषित करते हुए जिला पंचायत तथा ग्राम पंचायत को उक्त पद रिक्त घोषित कर नवीन भर्ती हेतु कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2015 द्वारा निर्देशित किया गया।
5. अनावेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर, संभाग जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमे दिनांक 17 मार्च 2017 को न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर, संभाग जबलपुर द्वारा आदेश जारी कर कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के आदेश को विधि संगत न मानते हुए अपास्त कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नियुक्ति आदेश क्र. 5180 दिनांक 24 दिसम्बर 2010 यथावत रखे जाने का लेख किया गया।

Scanned by CamScanner

6. अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका क्र. 12404/2017 दायर की गई। उक्त याचिका में दिनांक 20 सितम्बर 2017 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया:-

Against the impugned order, remedy of Second Appeal is also available to the Petitioner. Under these circumstances, petitioner is directed to file Second Appeal before the competent authority raising all his grievances.
If such an appeal is filed by the petitioner, the competent authority shall decide the same in accordance with law within a period of six weeks from the date of receipt of certified copy of this order.

अपील के प्रमुख आधार-:

1. अनावेदक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक पद हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ कम्प्यूटर डिप्लोमा की अंकसूची संलग्न नही की गई थी।
2. अनावेदक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक पद हेतु प्रस्तुत कम्प्यूटर डिप्लोमा की अंकसूची गैर मान्यता प्राप्त हैं।

अपील के निराकरण में अपीलार्थी की समक्ष में सुनवाई की गई। रेस्पोण्डेन्ट के पक्ष का श्रवण किया गया एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन/परीक्षण किया गया। जिससे निम्नानुसार स्थिति सामने आई:-

1. अपीलार्थी की अपील आधार 1 के संबंध में, अनावेदक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक पद हेतु आवेदन करते समय कम्प्यूटर डिप्लोमा कोर्स की अंक सूची आवेदन के साथ संलग्न की गई थी। जिसकी पुष्टि जिला पंचायत से उपस्थित श्री रमेश भारती, परियोजना अधिकारी द्वारा प्रमाण सहित की गई।
2. अपीलार्थी की अपील आधार 2 के संबंध में, कम्प्यूटर डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की वैधता के संबंध में जिला पंचायत द्वारा संबंधित यूनिवर्सिटी द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैण्ड से सत्यापन कराया गया था। द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैण्ड द्वारा अनावेदक के कम्प्यूटर डिप्लोमा प्रमाण-पत्र रोल नं. DCA/284/2008D को वैध तथा यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं, सत्यापित किया गया हैं।

अत: प्रकरण में अपीलार्थी श्री उमेश रजक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती हैं। सर्व संबंधित सूचित होंवे।

(सुदर्शन कुमार सोनी)
संयुक्त आयुक्त,
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

Scanned by CamScanner

पृ. क्र. 8072 /MGNREGS-MP/NR-1/GRS/18, भोपाल दिनांक 01, नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि:-

1. संभागायुक्त जबलपुर, संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत शहपुरा, जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री उमेश रजक निवासी ग्राम पंचायत भरौठीमाल, जनपद पंचायत शहपुरा, जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त,
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

D:\Durga\GRS\Dindori\46 GRS Order.docx

Scanned by CamScanner